



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2016 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.कुंवरपाल सिंह यादव पुत्र ओमकार यादव (हिस्ट्रीशीटर) निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 03 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी मणिकर्ण
शुक्ल



विवेचक-
उ0नि0 पन्नालाल



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 संजीत कुमार